राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड

A1,आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248013

ई–मेल : ceo-shauk@uk.gov.in

पत्रांक– रा0स्वा0प्रा0 / 2022-23 / 647 दिनांक 20 अगस्त, 2022

निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस

डॉ0 कुलवीर विक्रम सिंह
उजाला हॉस्पिटल,
रामनगर रोड, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल काशीपुर,
उधमसिंहनगर–244713, उत्तराखण्ड।
E-mail Id: unithead-ksp@ujalahospital.com

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनायें (AB-PMJAY तथा AAUY) के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालय उजाला हॉस्पिटल, रामनगर रोड, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल काशीपुर, उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स् के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टतया सिद्ध होने पर निम्न आरोप लगाया जाता है।

आरोप

हॉस्पिटल द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2022 से 19 अगस्त, 2022 तक प्रस्तुत किये गये क्लेम्स् के परीक्षण किये जाने पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा निम्न अनियमितता प्रकाश में आई है :–

हॉस्पिटल द्वारा 07 केसेस में इमरजेंसी के आधार पर Pre-authorization लिया गया है। इन केसेस का परीक्षण करने पर यह विदित हुआ है कि इन केसेस की प्रकृति इमरजेंसी केसेस की नहीं है। इन केसेस की सूची तथा वे आधार जिनसे यह स्पष्ट होता है कि इन केसेस का इमरजेंसी में Pre-authorization गलत रूप में लिया गया है, इस निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस के साथ सलंग्न है। सलंग्नक के विवरण से यह स्पष्ट है कि ये केसेस इमरजेंसी के नही हैं। यह भी प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल द्वारा रेफरल लिये जाने के अनिवार्य प्राविधान को Avoid करने के लिये इमरजेंसी केस दिखाकर Pre-authorization लिया गया है।

उक्त आरोप से यह स्पष्ट है कि हॉस्पिटल द्वारा इमरजेंसी में केसेस का **Pre-authorization** लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (**NHA**) की गाईडलाईन्स तथा **NHA** द्वारा निर्गत **Claim Adjudication Manual** में क्लेम हेतु निर्धारित किये गये अनिवार्य नियम एंव शर्तों का हॉस्पिटल द्वारा उल्लघंन किया गया है। हॉस्पिटल द्वारा की गयी उक्त अनियमितता के फलस्वरूप न केवल अनावश्यक एंव अधिक क्लेम की धनराशि लेने का प्रयास किया गया है, वरन् मरीजों के इलाज की गुणवत्ता के साथ गंभीर **Compromise** किया गया है। हॉस्पिटल का यह कृत्य अनैतिक तो है ही, वरन् यह कपटपूर्ण/आपराधिक कृत्य भी प्रतीत होता है।

हॉस्पिटल पर इंगित आरोप में की अनियमितता से मरीजों के स्वास्थ्य/जीवन के लिए गम्भीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, अतः सम्यक विचार एंव परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट गाईडलाइन्स के अन्तर्गत हॉस्पिटल की सूचीबद्धता (Empanelment) तत्काल प्रभाव से निलम्बित (Suspend) की जाती है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितता/मरीजों को गैर सुरक्षित उपचार/गलत भुगतान की संभावना से बचा जा सके। इस विषय पर नियमानुसार अंतिम निर्णय होने तक हॉस्पिटल की Login Id को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सिस्टम पर तत्काल ब्लॉक कराने की कार्रवाई भी की जाये किन्तु जो मरीज वर्तमान में हॉस्पिटल में इलाज प्राप्त कर रहे हैं उनका हॉस्पिटल द्वारा समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाय तथा इन केसेस के सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई Offline Mode में की जायेगी।

हॉस्पिटल को उक्त आरोप के सम्बन्ध में इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट गाईडलाइन्स के अन्तर्गत यह "कारण बताओ नोटिस" भी दिया जाता है कि हॉस्पिटल के साथ किये गये अनुबंध एंव राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की गाईडलाईन्स के प्राविधानों के अनुसार क्यों न हॉस्पिटल की सूचीबद्धता निरस्त करते हुये उसका डी–इम्पैनलमेंट कर दिया जाये। हॉस्पिटल की इम्पैनलमेंट और डी–इम्पैनलमेंट गाईडलाइन्स के अनुसार हॉस्पिटल को इस "कारण बताओ नोटिस" का उत्तर देने के लिए 5 कार्य दिवसों का समय दिया जाता है। यदि हॉस्पिटल द्वारा 5 कार्य दिवसों में नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह समझा जायेगा कि हॉस्पिटल द्वारा उक्त आरोप के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा हॉस्पिटल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। यद्यपि उक्त आरोप के सम्बन्ध में स्वयं हॉस्पिटल के पास सभी अभिलेख उपलब्ध हैं, तथापि हॉस्पिटल को यह अवसर भी दिया जाता है कि यदि कोई अभिलेख

हॉस्पिटल के स्वयं के पास उपलब्ध नहीं है तथा केवल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं तो वह उक्त निर्धारित अवधि में किसी भी कार्य दिवस पर आकर अभिलेखों का निरीक्षण भी कर सकते हैं।

यह निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस हॉस्पिटल को ई–मेल तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(वी0 एस0 टोलिया)
निदेशक –हॉस्पिटल मैनेजमेंट
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA), भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिला अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उधमसिंह नगर।
4. समस्त निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखण्ड।
6. आई0ई0सी0, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उजाला हॉस्पिटल, रामनगर रोड़, अपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल काशीपुर, उधमसिंह नगर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध निलम्बित होने के सम्बन्ध में जन–साधारण को अवगत कराने हेतु मीडिया में प्रकाशनार्थ।
7. गार्ड फाइल।

(वी0 एस0 टोलिया)
निदेशक –हॉस्पिटल मैनेजमेंट
(प्राधिकृत अधिकारी)
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

निलम्बन एंव कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.08.2022 का सलंग्नक

Findings in Emergency Cases of Ujala Hospital, Kashipur for the p**eriod 14 Aug to 19 Aug 2022**

S. No	Case No	Procedure	Complaints/ Provisional diagnosis	Observations
1	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D790 935	Acute Gastroentritis with Moderate Dehydration	Headache (severe), Dizziness, epigastric burning, Ghabrahat	1. Mismatch in diagnosis and procedure booked 2. HDU admission not required as per documents 3. Vitals are within normal limits 4. No evidence of parental medications 5. The treatment given to the patient does not indicate emergency case. Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission
2.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D788 001	Acute Febrile Illness	Weight loss, fever, loss of appetite, general weakness since 3 months	1. Vitals are within normal limits 2. There is no acute history of symptoms 3. The symptoms are not suggestive of emergency in nature 4. As per attached documents there is no indication of ICU admission 5. Mismatch in patient's on-bed photos available in TMS Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission
3.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D789 691	Acute Febrile Illness	Amenorrhoea 30 weeks, Fever with chills 4 days	1. Vitals are within normal limits 2. Pre-auth taken for ICU but as per attached document General ward is mentioned 3. The patient relieved with symptomatic treatment in oral form 4. As per attached documents there is no indication of ICU admission Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission
4.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D789 917	Acute Febrile Illness	Fever with chills, generalized weakness, loss of appetite 25 days	1. Vitals are within normal limits 2. Duration of illness before admission is 25 days which appears not emergency in nature 3. Symptoms of the patient is not indicative of admission in ICU 4. The treatment given to the patient does not indicate emergency case. Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission
5.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/E788 248	Skin and Soft Tissue Infection	Right foot swelling and pain 2 days, fracture in clavicle Rt.	1. Vitals are within normal limits 2. Emergency condition of the patient is over as history of bike slip was 2 days back 3. Symptoms of the patient is not indicative of admission in ICU 4. The treatment given to the patient does not indicate emergency case. Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission

Vhh

6.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D789 178	Acute Gastroentritis with Moderate Dehydration	Pain in right groin, burning micturition, feverish 1 week	1. Mismatch in diagnosis and procedure booked . 2. Vitals are within normal limits. 3. No signs suggestive of gastroenteritis and dehydration. 4. Symptoms of the patient is not indicative of admission in ICU. 5. The treatment given to the patient does not indicate emergency case. Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission
7.	CASE/PS5/ HOSP5P12 3335/D787 759	Acute Febrile Illness	Pain abdomen, fever, micturition, irregular mensus 3 days	1. Vitals are within normal limits. 2. Pre-auth taken for ICU but General ward mentioned in document. 3. Attached document mentions "Dysmenrrhoea and white discharge which is not indicative of emergency condition. 4. Symptoms of the patient is not indicative of admission in ICU. 5. The treatment given to the patient does not indicate emergency case. Impression: As per attached documents there was no need of emergency admission